154

संख्या 224/V-2012-01(एन0एल0)/2008

प्रेषक,

पी0सी0शर्मा,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1— समस्त मण्डलायुक्त
उत्तराखण्ड।

2— अध्यक्ष,
विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
देहरादून/नैनीताल/गंगोत्री।

3 समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

4 उपाध्यक्ष,
विकास प्राधिकरण,
देहरादून/हरिद्वार।

आवास अनुभाग–1

देहरादूनः दिनांक 31 मार्च, 2012.

विषयः उत्तराखण्ड में स्थित नजूल भूमि के प्रबन्ध एवं निस्तारण के संबंध में निर्गत नजूल नीति 2009 की अवधि बढ़ाये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या –437/V–आ0–10–01(एन0एल0)/08 दिनांक 01–03–2009 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2 उपरोक्त के क्रम में शासनादेश संख्या 151/V-2011-01 (एन0एल0) /2008 दिनांक 06 अप्रैल, 2011 द्वारा नजूल नीति लागू रहने की अवधि दिनांक 31 मार्च, 2012 तक बढ़ाये जाने जाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

3 उक्त के क्रम में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णयानुसार मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या 151/V-2011-01 (एन0एल0) /2008 दिनांक 06 अप्रैल, 2011 में संशोधन करते हुऐ निर्गत नजूल नीति लागू रहने की अवधि दिनांक 30.09.2012 तक बढ़ाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4 उक्त के अतिरिक्त नजूल नीति के शासनादेश दिनांक 01–03–2009 एवं अनुवर्ती शासनादेश दिनांक 29 नवम्बर, 2011 एवं शासनादेश दिनांक 22 दिसम्बर, 2011 में अन्तर्निहित व्यवस्थायें यथावत लागू रहेंगी।

5 : कृपया नजूल नीति भूमि फ्रीहोल्ड के लम्बित प्रकरणों में उत्तराखण्ड नजूल नीति के शासनादेश दिनांक 01.03.2009 एवं अनुवर्ती शासनादेश दिनांक 29 नवम्बर, 2011 एवं शासनादेश दिनांक 22 दिसम्बर, 2011 में निहित प्रावधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करते हुये अद्यतन स्थिति से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(पी0सी0शर्मा)
प्रमुख सचिव।

संख्या 2240 /V-2011-01(एन0एल0)/2008 एवं तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषितः–

1– समस्त स्थानीय निकाय, उत्तराखण्ड।
2– निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड।
3– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डा0 बी0वी0आर0सी0पुरूषोत्तम)
अपर सचिव।